

प्रेषक,

वित्त नियन्त्रक,
पशुपालन विभाग,
उ०प्र०, लखनऊ ।

सेवा में,

मुख्य पशु चिकित्साधिकारी,

पशुपालन विभाग, सहारनपुर/ मुजफ्फरनगर/ मेरठ/ बुलन्दशहर/ अलीगढ़/ मथुरा/आगरा/ मैनपुरी/ एटा/ बरेली/ बिजनौर/ बदायूं/ मुरादाबाद/ शाहजहांपुर/ पीलीभीत/ रामपुर/ फर्रुखाबाद/ इटावा/ कानपुरनगर/ फतेहपुर/ प्रयागराज/ झांसी/ जालौन/ हमीरपुर/ बांदा/ वाराणसी/ मिर्जापुर/ जौनपुर/ गाजीपुर/ बलिया/ बस्ती/ गोरखपुर/ आजमगढ़/ देवरिया/ लखनऊ/ उन्नाव/ रायबरेली/ सीतापुर/ हरदोई/ बहराइच/ लखीमपुर-खीरी/ अयोध्या/ गोण्डा/ सुलतानपुर/ प्रतापगढ़/ बाराबंकी/ ललितपुर/ सोनभद्र/ गाजियाबाद/ कानपुर-देहात/ मऊ/ सिद्धार्थनगर/ फिरोजाबाद/ महाराजगंज/ महोबा/ संतरविदासनगर/ कुशीनगर/ अम्बेदकरनगर/ गौतमबुद्धनगर/ चंदौली/ हाथरस/ बलरामपुर/ संतकबीरनगर/ औरैया/ कौशाम्बी/ बागपत/ कन्नौज/ श्रावस्ती/ अमरोहा/ चित्रकूट/ अमेठी/ कासगंज/ हापुड/ शामली/ सम्भल।

संख्या— 673 / बजट / 29(5) / अनु०—15 / 45 / 2025—26,

दिनांक 15.05.2025

विषय:— अनुदान सं०—15 के अधीन बकरी पालन की योजना (रा.यो.) के अन्तर्गत चालू वित्तीय वर्ष 2025—26 के लिए धनराशि के आवंटन के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक पशुधन अनुभाग-2 के शासनादेश सं०—86 / 2025 / 753 / सैंतीस-2-2025 / 001-1(12) / 2022 दिनांक 09 मई, 2025 द्वारा चालू वित्तीय वर्ष 2025—26 में अनुदान संख्या—15 के अधीन लेखाशीर्षक 2403—पशुपालन—106—अन्य पशुधन विकास—04—बकरी पालन की योजना (रा०यो०) (रा.90+ला.10) के अन्तर्गत विभिन्न मानक मदों में कुल धनराशि रु० 300.00 लाख (रुपये तीन करोड़ मात्र) की प्राप्त स्वीकृति के आधार पर निदेशक, प्रशासन एवं विकास के पत्र संख्या—108 / प०—1 दि० 15.05.2025 द्वारा प्राप्त आवंटन प्रस्ताव के अनुसार विभिन्न मानक मदों में कुल रु० 299.29500 लाख (रुपये दो करोड़ निम्नानवे लाख उन्तीस हजार पांच सौ मात्र) की धनराशि संबंधित आहरण वितरण अधिकारियों को संलग्न एलाटमेन्ट ग्रीड रिपोर्ट के अनुसार व्यय हेतु धनराशि निम्नलिखित शर्तों के अधीन आवंटित की जाती है। शर्तों से विचलन की दशा में आहरण वितरण अधिकारी स्वयं उत्तरदायी होंगे।

- (1) आवंटित की जा रही धनराशि का आहरण/व्यय अनुमोदित कार्ययोजना एवं मदों में योजना हेतु निर्धारित गार्डलाइन्स का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित करते हुए किया जायेगा। लाभार्थियों की सूची विभागीय वेबसाइट पर अपलोड किया जाना अनिवार्य होगा।
- (2) आवंटित की जा रही धनराशि का कोषागार से आहरण तभी सुनिश्चित किया जायेगा, जब योजनान्तर्गत पात्र लाभार्थियों का चयन सुनिश्चित कर सूची विभागीय वेबसाइट पर अपलोड कर दी जायेगी।
- (3) योजनान्तर्गत अनुदान की धनराशि लाभार्थी के बैंक/डाकघर खाते में उपलब्ध कराई जायेगी। किसी भी दशा में अनुदान का भुगतान नकद नहीं किया जायेगा।
- (4) आवंटित धनराशि का व्यय/उपयोग उसी मद/प्रयोजन में किया जायेगा जिसके लिए धनराशि वस्तुतः आवंटित की जा रही है। आवंटित की जा रही धनराशि का किसी अन्य मद/योजना/कार्यक्रम में व्यय अनुमन्य न होगा।
- (5) आहरण वितरण अधिकारी योजनान्तर्गत धनराशि व्यय करने से पूर्व यह सुनिश्चित करेंगे कि योजना में आवंटित धनराशि का अन्य संचालित योजनाओं के मदों में व्यय हेतु जारी आवंटनों से द्विरावृत्ति न हो।
- (6) आवंटित की जा रही धनराशि को आहरित कर किसी बैंक/डाकघर में नहीं जमा किया जाय तथा इससे व्यय नई मदों में न किया जाय।
- (7) आहरण वितरण अधिकारियों द्वारा तत्काल आवश्यकता होने पर ही कोषागार से धनराशि का आहरण किया जाये।
- (8) यदि आहरण वितरण अधिकारी जनपद स्तर पर हैं, तो जनपद स्तर पर व्यय की जाने वाली धनराशियों को संबंधित जनपदों के आहरण वितरण अधिकारी को आवंटित किया जाय। ऐसे मामलों में विभागाध्यक्ष स्तर पर एकमुश्त धनराशि का आहरण न किया जाय।
- (9) योजनान्तर्गत वस्तुओं/सामग्रियों आदि का क्रय उ०प्र० भण्डार क्रय नियमावली तथा वित्त विभाग/सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विभाग द्वारा इस सम्बन्ध में समय-समय पर निर्गत सुसंगत शासनादेशों, उ०प्र० प्रोक्योरमेन्ट मैनुअल (प्रोक्योरमेन्ट ऑफ गुड्स)—2016 एवं विभागीय क्रय नीति (जेम) का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित करते हुए किया जायेगा।

i

- (10) विज्ञापन, प्रकाशन एवं प्रचार-प्रसार के संबंध में समय-समय पर निर्गत शासनादेशों एवं सूचना विभाग के निर्देशों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।
- (11) यह भी स्पष्ट किया जाता है धनराशि का विभागाध्यक्ष/नियंत्रक अधिकारी के निर्वतन पर रखे जाने मात्र से किसी प्रकार के व्यय करने का प्राधिकार नहीं देता है। जिन मामलों में उ०प्र० बजट मैनुअल और वित्तीय नियम संग्रहों तथा स्थायी आदेशों अर्न्तगत राज्य सरकार/केन्द्र अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति विभागाध्यक्ष/नियंत्रक अधिकारी द्वारा प्राप्त की जानी आवश्यक हो, उन मामलों में व्यय करने के पूर्व ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाये।
- (12) व्यय प्रबन्धन एवं शासकीय व्यय में मितव्ययिता के सम्बन्ध में वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों का विशेष रूप से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
- (13) आवंटित की जा रही धनराशि के आहरण में वित्तीय हस्त पुस्तिका खण्ड-V पार्ट-I के पैरा-162 में विहित प्राविधानों कर कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जाय।
- (14) आवंटित की जा रही धनराशि का आहरण/व्यय वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप सं० 6/2025 /बी-1-352/दस-2024-231/2025 दि० 27.03.2025 एवं समय-समय पर निर्गत शासनादेश में दिये गये दिशा-निर्देशों का कड़ाई के साथ अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।
- (15) उक्त व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 के अनुदान संख्या-15 के अधीन लेखाशीर्षक "2403-पशुपालन-106-अन्य पशुधन विकास-04-बकरी पालन की योजना (रा०यो०) (रा.90+ला.10)" की सुसंगत इकाईयों के नामे डाला जायेगा।
- (16) आवंटित की जा रही धनराशि की प्रविष्टि आवंटन रजिस्टर के क्रम संख्या-45 (अनु०-15) पर अंकित कर ली गई है।

संलग्नक: यथोपरि।

भवदीय,

(ब्रजेश कुमार)
वित्त नियन्त्रक।

संख्या- 673 / बजट / 29(5) / अनु०-15 / 45 / 2025-26, तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- (1) वरिष्ठ/मुख्य कोषाधिकारी, कलेक्ट्रेट-लखनऊ/सहारनपुर/मुजफ्फरनगर/मेरठ/बुलन्दशहर/अलीगढ़/मथुरा/आगरा/मैनपुरी/एटा/बरेली/बिजनौर/बदायूं/मुरादाबाद/शाहजहांपुर/पीलीभीत/रामपुर/फर्रुखाबाद/इटावा/कानपुर नगर/फतेहपुर/प्रयागराज/झांसी/जालौन/हमीरपुर/बांदा/वाराणसी/मिर्जापुर/जौनपुर/गाजीपुर/बलिया/बस्ती/गोरखपुर/आजमगढ़/देवरिया/उन्नाव/रायबरेली/सीतापुर/हरदोई/बहराइच/लखीमपुर-खीरी/अयोध्या/गोण्डा/सुलतानपुर/प्रतापगढ़/बाराबंकी/ललितपुर/सोनभद्र/गाजियाबाद/कानपुर देहात/मऊ/सिद्धार्थनगर/फिरोजाबाद/महाराजगंज/महोबा/कुशीनगर/संतरविदास नगर/अम्बेदकर नगर/गौतमबुद्ध नगर/चंदौली/हाथरस/बलरामपुर/संतकबीरनगर/औरैया/कौशाम्बी/बागपत/कन्नौज/श्रावस्ती/अमरोहा/चित्रकूट/अमेठी/कासगंज/हापुड/शामली/सम्भल।
- (2) महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी-1)/लेखानुभाग, उ०प्र०, इलाहाबाद।
- (3) अनुसचिव, उ०प्र० शासन, पशुधन अनुभाग-2, सचिवालय, लखनऊ।
- (4) निदेशक, प्रशासन एवं विकास, पशुपालन विभाग, उ०प्र०, लखनऊ।
- (5) योजनाधिकारी अपर निदेशक (लघु-पशु), मु० को उनके पत्र संख्या-108/प०-1 दि० 15.05.2025 के क्रम में इस आशय से प्रेषित कि आपके प्रस्तावानुसार धनराशि का आवंटन संबंधित आ०वि०अ० को किया जा रहा है। कृपया अपने स्तर से संबंधित आ०वि०अ० को आवश्यक दिशा-निर्देश देते हुए व्यय की सघन समीक्षा कर व्यय उपरान्त उपयोगिता प्रमाण-पत्र शासन को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।
- (6) संयुक्त निदेशक (नियोजन), मुख्यालय।
- (7) कम्प्यूटर सुपरवाइजर, मुख्यालय को इस आशय से प्रेषित कि उक्त आवंटन को विभागीय वेबसाइट पर फीड करने का कष्ट करें।

(ब्रजेश कुमार)
वित्त नियन्त्रक।

Allootment Grid Report

वित्तीय वर्ष:-2025-2026
आवंटन दिनांक-15/05/2025

प्रेषण संख्या:-
आवंटन आदेश संख्या:-
अनुदान संख्या:-
लेखाशीर्षक:-

673
001-29-5-ANU-15-45-2025-26
15 कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (पशुधन)(वित्तीय वर्ष 2025-2026 का आवंटन)
2403 - पशु पालन(आयोजनेत्तर-मतदेय)

106 - अन्य पशुधन विकास
04 - बकरी पालन की योजना (राज्य योजना) (रा.90 + ला. 10)

(धनराशि रु. में)

S.No.	अधिकारी/जनपद का नाम	39-ओषधि तथा रसायन	42-अन्य व्यय	43-सामग्री एवं संपूर्ति	योग
1	सहारनपुर-2295-मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी, --01-मुख्य पशुचिकित्साधिकारी	वर्तमान प्रणामी	36000 36000	276000 276000	324000 324000
2	मुजफ्फर नगर-2295-मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी, --01-मुख्य पशुचिकित्साधिकारी	वर्तमान प्रणामी	36000 36000	276000 276000	324000 324000
3	मेरठ-2295-मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी, --01-मुख्य पशुचिकित्साधिकारी	वर्तमान प्रणामी	36000 36000	276000 276000	324000 324000
4	बुलन्दशहर-2295-मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी, --01-मुख्य पशुचिकित्साधिकारी	वर्तमान प्रणामी	36000 36000	276000 276000	324000 324000
5	अलीगढ़-2295-मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी, --01-मुख्य पशुचिकित्साधिकारी	वर्तमान प्रणामी	36000 36000	276000 276000	324000 324000
6	मथुरा-2295-मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी, --01-मुख्य पशुचिकित्साधिकारी	वर्तमान प्रणामी	36000 36000	276000 276000	324000 324000
7	आगरा-2295-मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी, --01-मुख्य पशुचिकित्साधिकारी	वर्तमान प्रणामी	36000 36000	276000 276000	324000 324000
8	मैनपुरी-2295-मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी, --01-मुख्य पशुचिकित्साधिकारी	वर्तमान प्रणामी	36000 36000	276000 276000	324000 324000
9	एटा-2295-मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी, --01-मुख्य पशुचिकित्साधिकारी	वर्तमान प्रणामी	36000 36000	276000 276000	324000 324000
10	बरेली-2295-मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी, --01-मुख्य पशुचिकित्साधिकारी	वर्तमान प्रणामी	85500 85500	655500 655500	769500 769500
11	बिजनौर-2295-मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी, --01-मुख्य पशुचिकित्साधिकारी	वर्तमान प्रणामी	36000 36000	276000 276000	324000 324000
12	बदायूं-2295-मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी, --01-मुख्य पशुचिकित्साधिकारी	वर्तमान प्रणामी	36000 36000	276000 276000	324000 324000

✓

[illegible]

S.No.	अधिकारी/जनपद का नाम	39-औषधि तथा रसायन	42-अन्य व्यय	43-सामग्री एवं संपूर्ति	योग
34	देवरिया-2295-मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी, --01-मुख्य पशुचिकित्साधिकारी	वर्तमान प्रणामी 12000	36000	276000	324000
35	लखनऊ कलेक्ट्रेट -2295-मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी, --01-मुख्य पशुचिकित्साधिकारी	वर्तमान प्रणामी 12000	36000	276000	324000
36	उन्नाव-2295-मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी, --01-मुख्य पशुचिकित्साधिकारी	वर्तमान प्रणामी 12000	36000	276000	324000
37	रायबरेली-2295-मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी, --01-मुख्य पशुचिकित्साधिकारी	वर्तमान प्रणामी 12000	36000	276000	324000
38	सीतापुर-2295-मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी, --01-मुख्य पशुचिकित्साधिकारी	वर्तमान प्रणामी 12000	36000	276000	324000
39	हरदोई-2295-मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी, --01-मुख्य पशुचिकित्साधिकारी	वर्तमान प्रणामी 12000	36000	276000	324000
40	लखीमपुर खीरी-2295-मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी, --01-मुख्य पशुचिकित्साधिकारी	वर्तमान प्रणामी 28500	85500	655500	769500
41	अयोध्या-2295-मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी, --01-मुख्य पशुचिकित्साधिकारी	वर्तमान प्रणामी 12000	36000	276000	324000
42	गोण्डा-2295-मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी, --01-मुख्य पशुचिकित्साधिकारी	वर्तमान प्रणामी 12000	36000	276000	324000
43	बहराइच-2295-मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी, --01-मुख्य पशुचिकित्साधिकारी	वर्तमान प्रणामी 28500	85500	655500	769500
44	सुल्तानपुर-2295-मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी, --01-मुख्य पशुचिकित्साधिकारी	वर्तमान प्रणामी 12000	36000	276000	324000
45	प्रतापगढ़-2295-मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी, --01-मुख्य पशुचिकित्साधिकारी	वर्तमान प्रणामी 12000	36000	276000	324000
46	बाराबंकी-2295-मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी, --01-मुख्य पशुचिकित्साधिकारी	वर्तमान प्रणामी 12000	36000	276000	324000
47	ललितपुर-2295-मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी, --01-मुख्य पशुचिकित्साधिकारी	वर्तमान प्रणामी 18000	54000	276000	348000
48	गजियाबाद-2295-मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी, --01-मुख्य पशुचिकित्साधिकारी	वर्तमान प्रणामी 12000	36000	276000	324000
49	कानपुर देहात-2295-मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी, --01-मुख्य पशुचिकित्साधिकारी	वर्तमान प्रणामी 12000	36000	276000	324000
50	मऊ-2295-मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी, --01-मुख्य पशुचिकित्साधिकारी	वर्तमान प्रणामी 12000	36000	276000	324000
51	सिद्धार्थनगर-2295-मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी, --01-मुख्य पशुचिकित्साधिकारी	वर्तमान प्रणामी 28500	85500	655500	769500
52	फिरोजाबाद-2295-मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी, --01-मुख्य पशुचिकित्साधिकारी	वर्तमान प्रणामी 12000	36000	276000	324000
53	सोनभद्र-2295-मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी, --01-मुख्य पशुचिकित्साधिकारी	वर्तमान प्रणामी 18000	54000	414000	486000
54	महाराजगंज-2295-मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी, --01-मुख्य पशुचिकित्साधिकारी	वर्तमान प्रणामी 28500	85500	655500	769500

S.No.	अधिकारी/जनपद का नाम	39-औषधि तथा रसायन	42-अन्य व्यय	43-सामग्री एवं संपूर्ति	योग
55	महोबा-2295-मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी, --01-मुख्य पशुचिकित्साधिकारी	वर्तमान प्रणामी 18000	54000	414000	486000
56	संत रविदास नगर-2295-मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी, --01-मुख्य पशुचिकित्साधिकारी	वर्तमान प्रणामी 12000	36000	276000	324000
57	कुशीनगर-2295-मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी, --01-मुख्य पशुचिकित्साधिकारी	वर्तमान प्रणामी 28500	85500	655500	769500
58	अबेदकर नगर-2295-मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी, --01-मुख्य पशुचिकित्साधिकारी	वर्तमान प्रणामी 12000	36000	276000	324000
59	गौतमबुद्ध नगर-2295-मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी, --01-मुख्य पशुचिकित्साधिकारी	वर्तमान प्रणामी 12000	36000	276000	324000
60	चन्दौली-2295-मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी, --01-मुख्य पशुचिकित्साधिकारी	वर्तमान प्रणामी 18000	54000	414000	486000
61	हाथरस-2295-मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी, --01-मुख्य पशुचिकित्साधिकारी	वर्तमान प्रणामी 12000	36000	276000	324000
62	बलरामपुर-2295-मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी, --01-मुख्य पशुचिकित्साधिकारी	वर्तमान प्रणामी 28500	85500	655500	769500
63	संत कबीर नगर-2295-मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी, --01-मुख्य पशुचिकित्साधिकारी	वर्तमान प्रणामी 12000	36000	276000	324000
64	औरैया-2295-मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी, --01-मुख्य पशुचिकित्साधिकारी	वर्तमान प्रणामी 12000	36000	276000	324000
65	कौशाबी-2295-मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी, --01-मुख्य पशुचिकित्साधिकारी	वर्तमान प्रणामी 12000	36000	276000	324000
66	बागपत-2295-मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी, --01-मुख्य पशुचिकित्साधिकारी	वर्तमान प्रणामी 12000	36000	276000	324000
67	कन्नौज-2295-मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी, --01-मुख्य पशुचिकित्साधिकारी	वर्तमान प्रणामी 12000	36000	276000	324000
68	श्रावस्ती-2295-मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी, --01-मुख्य पशुचिकित्साधिकारी	वर्तमान प्रणामी 28500	85500	655500	769500
69	अमरोहा-2295-मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी, --01-मुख्य पशुचिकित्साधिकारी	वर्तमान प्रणामी 12000	36000	276000	324000
70	चित्रकूट-2295-मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी, --01-मुख्य पशुचिकित्साधिकारी	वर्तमान प्रणामी 18000	54000	414000	486000
71	कासगंज-2295-मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी, --01-मुख्य पशुचिकित्साधिकारी	वर्तमान प्रणामी 12000	36000	414000	462000
72	अमेठी-2295-मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी, --01-मुख्य पशुचिकित्साधिकारी	वर्तमान प्रणामी 12000	36000	276000	324000
73	हापुर-2295-मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी, --01-मुख्य पशुचिकित्साधिकारी	वर्तमान प्रणामी 12000	36000	276000	324000
74	शामली-2295-मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी, --01-मुख्य पशुचिकित्साधिकारी	वर्तमान प्रणामी 12000	36000	276000	324000
75	सम्बल-2295-मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी, --01-मुख्य पशुचिकित्साधिकारी	वर्तमान प्रणामी 12000	36000	276000	324000

S.No.	अधिकारी/जनपद का नाम	39-आषाढ़ तथा रसायन	42-अन्य व्यय	43-सामग्री एवं सम्पत्ति	योग
	योग	वर्तमान प्रगामी	3325500 3325500	25495500 25495500	29929500 29929500

महायोग- (वर्तमान आवंटन):- रूपया दो करोड़ नित्यानवे लाख उन्तीस हजार पाँच सौ
महायोग- (प्रगामी आवंटन):- रूपया दो करोड़ नित्यानवे लाख उन्तीस हजार पाँच सौ



(ब्रजेश कुमार)
वित्त नियंत्रक